कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़

—: विविध आदेश :—

क्रमांक **1221**/कार्या./2020 रायपुर, दिनांक 30.09.2020

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के **आदेश क्रमांक 79 दिनांक 15.07.2020 के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस के प्रसार और संक्रमण को रोकने हेतु आगामी आदेश तक न्यायालयों का नियमित एवं सामान्य कार्य पूर्ववत स्थगित रखे जाने का निर्देश है।** अतः अत्यावश्यक व्यवस्था के तौर पर यह अतिरिक्त आदेश दिया जाता है कि जिला न्यायालय, रायपुर एवं बाह्य न्यायालय गरियाबंद, तिल्दा, राजिम, देवभोग स्थित न्यायालयों में निम्नलिखित तिथियों को लंबित सिविल एवं दाण्डिक प्रकरण उनके समक्ष अंकित तारीख पर सुनवाई पर लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था दिनांक **15.10.2020** तक लागू रहेगी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज प्रारंभ करने के संबंध में कोई अन्य व्यवस्था/आगामी आदेश जारी किये जाने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त निर्देश बाद में जारी किया जायेगा। उक्त अवधि में मात्र अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई न्यायालयों द्वारा की जायेगी, जिसमें जमानत संबंधी मामले, रिमाण्ड कार्य एवं अन्य अत्यावश्यक प्रकरण के मामले शामिल हैं:—

लंबित सिविल प्रकरण :—

क्रमांक	प्रकरण नियत दिनांक	आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक
1-	01-10-2020	28-11-2020
2-	03-10-2020	03-12-2020
3-	05-10-2020	04-12-2020
4-	06-10-2020	05-12-2020
5-	07-10-2020	07-12-2020
6-	08-10-2020	08-12-2020
7-	09-10-2020	09-12-2020
8-	12-10-2020	10-12-2020
9-	13-10-2020	11-12-2020
10-	14-10-2020	14-12-2020
11-	15-10-2020	15-12-2020

दाण्डिक प्रकरण :—

क्रमांक	प्रकरण नियत दिनांक	आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक
1-	01-10-2020	16-12-2020
2-	03-10-2020	17-12-2020

3-	05-10-2020	21-12-2020
4-	06-10-2020	22-12-2020
5-	07-10-2020	23-12-2020
6-	08-10-2020	24-12-2020
7-	09-10-2020	26-12-2020
8-	12-10-2020	28-12-2020
9-	13-10-2020	29-12-2020
10-	14-10-2020	30-12-2020
11-	15-10-2020	31-12-2020

उक्त अवधि में किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को अपने मामले में न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे आगामी तारीख पर न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होंगे।

नोट :–

1/ यह आदेश उन मांमलों में लागू नहीं होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समयसीमा पर प्रकरण के निराकरण का आदेश दिया गया है। ऐसे मांमलों में संबंधित पीठासीन अधिकारी आगामी तारिख नियत कर अधिवक्ताओं और पक्षकारों को सूचित करेंगे, और तत्परता पूर्वक प्रकरण में कार्यवाही करेंगे।

2/ यदि किसी अत्यावश्यक मांमले में पक्षकार/अधिवक्ता तत्काल सुनवाई चाहते है, तो ऐसे मांमले में तत्काल सुनवाई का आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, उक्त कार्य के लिए प्रत्येक न्यायालय, न्यायालय के सूचना पटल पर एक कर्मचारी का नाम और मोबाईल नम्बर सूचित करेंगे, जिसमें अंकित मोबाईल नम्बर पर अधिवक्तागण सम्पर्क कर संबंधित कर्मचारी को सूचित कर तत्काल सुनवाई का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, उक्त आवेदन संबंधित कर्मचारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचारार्थ और कार्यवाही हेतु तत्काल रखा जावेगा। आवेदन में मोबाईल नम्बर भी लिखा जावेगा, जिस पर अग्रिम कार्यवाही/आदेश की सूचना उन्हें दी जाएगी। संबंधित न्यायालय मांमले के अत्यावश्यक प्रकृति का होने या न होने के संबंध में निराकरण संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद करेंगे, और आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही करेंगे। बाह्य न्यायालयों में संबंधित न्यायालय में अत्यावश्यक सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसका निराकरण आवेदक/याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3/ जिन मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में अधिनिर्णय की राशि अधिकरण में जमा की जा चुकी है, तो उक्त जमा राशि के आहरण हेतु संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता तत्काल सुनवाई का आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, उक्त कार्य के लिए प्रत्येक न्यायालय, न्यायालय के सूचना पटल पर एक कर्मचारी का नाम और मोबाईल नम्बर सूचित करेंगे,

जिसमें अंकित मोबाईल नम्बर पर अधिवक्तागण सम्पर्क कर संबंधित कर्मचारी को सूचित कर तत्काल सुनवाई का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, उक्त आवेदन संबंधित कर्मचारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचारार्थ और कार्यवाही हेतु तत्काल रखा जावेगा। आवेदन में मोबाईल नम्बर भी लिखा जावेगा, जिस पर अग्रिम कार्यवाही/आदेश की सूचना आवेदक को दी जाएगी। संबंधित न्यायालय मामले के अत्यावश्यक प्रकृति का होने या न होने के संबंध में निराकरण संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद करेंगे, और आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

4/ न्यायालय का प्रतिलिपि अनुभाग प्रतिदिन, दिन में 11:00 बजे से 02:00 बजे तक खुला रहेगा, परन्तु मात्र अत्यावश्यक मामलों से संबंधित प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। अतः अत्यावश्यक मामलों में प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उक्त अवधि में प्रतिलिपि विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है।

5/ नोट की कंडिका–02 से 04 की व्यवस्था राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किये जाने की स्थिति में लॉकडाउन अवधि तक के लिए स्थगित रहेगा।

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठां कमांक : **1222**/कार्यालय/2020 रायपुर, दिनांक 30.09.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2. विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज/सी.बी.आई, रायपुर ।
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर।
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/ गरियाबंद।
5. प्रथम /द्वितीय /तृतीय / चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/ एकादश / द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
7. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय /पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, रायपुर/गरियाबंद।
9. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/ एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/पंचदश/षष्ठदश/सप्तदश/अष्टदश/ नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर ।
11. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)

12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/देवभोग की ओर आदेश की प्रतिलिपि (उनके न्यायालयों) के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्तागण एवं जन सामान्य की जानकारी हेतु चस्पा करने हेतु ।

13. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।

14. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने-अपने अनुभाग/ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई-मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

15. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)